



## कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनीपार्क नगर निगम जयपुर

क्रमांक: एफ.9 ( )आ.फा./न.नि.ज/19 | 2181 दिनांक 26/11/19

श्री रवि जूनीवाल,  
पुत्र श्री सागरमल जूनीवाल,  
अध्यक्ष अपेक्ष इन्टरनेशनल स्कूल,  
लालकोठी योजना जयपुर।

अपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा भूखण्ड लाल कोठी योजना, जयपुर में निर्मित शैक्षणिक संस्थान अपेक्ष इन्टरनेशनल स्कूल की रथाई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहने हेतु इस विभाग में आवेदन किया गया है। अतः स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण किया गया जिसकी रिथति निम्न प्रकार है:-

### निर्माण की रिथति:-

1. स्थल पर एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया हुआ है जिसमें ग्राउण्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ तल का निर्माण किया गया है।
2. उक्त भवन ग्राउण्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ तल का निर्माण कर कालेज संचालित की जा रही है।
3. दोनों तरफ सिढ़ी का निर्माण कर दो-दो रीढ़ी का आपात व जनरल का बना रखा है।
4. बिल्डिंग के ऊपर पानी टैंक अलग-अलग 10,000 लीटर का निर्माण किया है।

### अग्निशमन यन्त्रों की रिथति:-

1. उक्त टैंक पर 10 एच.पी. की मोटर लगा रखी है।
2. प्रत्येक पलांग पर फायर हाईड्रेन्ट मय होज व ब्रान्च के लगा रखे हैं जो कि वर्तमान में कार्यरत अवस्था में हैं।
3. फायर होजरील प्रत्येक पलोर पर लगा रखी है जो कि वर्तमान में कार्यरत अवस्था में है।
4. प्रत्येक पलोर पर एम.सी.पी. हूटर लगा रखे हैं जो कि वर्तमान में कार्यरत अवस्था में है।
5. ग्राउण्ड पलोर पर टू घे लगा रखे हैं।
6. यार्ड हाईड्रेन्ट लगा रखा है जो कि वर्तमान में कार्यरत अवस्था में है।
7. स्थल पर कोई रूफटोफ रेस्टोरेन्ट आदि सचालित नहीं है व आवेदक भविष्य में कोई भी रूफटोफ रेस्टोरेन्ट आदि का संचालन नहीं करेगा।

स्थल पर स्थापित किये गये अग्निशमन यन्त्र/उपकरणों व अन्य व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील अवस्था में रखने जाने हेतु मौके पर उपस्थिति अधिकारी व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। अतः उक्त भूखण्ड पर निर्मित फैक्ट्री की निरीक्षण रिपोर्ट जावेदक द्वारा प्रस्तुत मानवित्र अनुसार ही जारी किये जाने की तिथि से तीन वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तानुसार जारी की जाती है व भविष्य में स्थल पर अग्निशमन उपकरणों की प्रयोग्यता व्यवस्था करनी होगी। आवेदक को तीन वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र को नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

1. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घन्टे कार्यशील रिथति में रखने को बाध्य होंगे।
2. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घन्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम कारख रखाये व संचालन करना अनिवार्य होगा।
3. फायर बाहन आसानी से आ जा सके इसके लिये प्रयोग्यता खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
4. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
5. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की रिथति में यह अभिशंषा पत्र बतौर निरस्त माना जाएगा।
6. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवादीतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवम् इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
7. भवन में पर्किंग की नियमानुसार व्यवस्था करनी होगी एवम् उक्त स्थल पर अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।

(जगदीश प्रसाद फुलवारी)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
ज्वलनशील संस्थानों का नियमानुसार व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।

*Mangro*

PRINCIPAL  
APEX INTERNATIONAL SCHOOL  
JAIPUR

*[Signature]*  
SECRETARY

APEX INTERNATIONAL SCHOOL  
JAIPUR